न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 119/2025 दायर दिनांक–09.05.2025

1. ओमप्रकाश पुत्र चतरसाल
2. बाबुलाल पुत्र चतरसाल
3. विरेन्द्र पुत्र चतरसाल जाति पुरोहित निवासीगण सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

बनाम

1. कुशलाराम पुत्र धोंकलराम
2. पवन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति मेघवंशी निवासी सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
3. रामसहाय पुत्र ठण्डुराम जाति दर्जी निवासी सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
4. प्रेम पुत्री चतरसाल
5. बबीता पुत्री चतरसाल
6. ललीता पुत्री चतरसाल समस्त जाति पुरोहित निवासीगण सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
7. उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री मुकेश कुमार पारीक

वकील प्रतिवादी :– श्री अनुराग बैराड़िया

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–14.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम खरीटों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 3.0900 है0 स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 के पिता चतरसाल पुत्र मंगेज पुरोहित उक्त भूमि में से खातेदार राजूसिंह उर्फ रामसिंह पत्र सुगनसिंह जाति राजपूत के 1/2 हिस्सा यानि 0.77 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांकित 09.06.1993 को ख़रीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा इसके पश्चात राजूसिंह के शेष 1/4 हक हिस्से में से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.004.1994 को 0.28 है0 भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात दोनो विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1993, 28.04.1994 के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 के पिता चतरसाल पुत्र मंगेज के नाम जरिये नामांतरण संख्या 140 दिनांक 16.07.1994 कुल 1.05 है0 भूमि खातेदारी में दर्ज कर दी गई किन्तु नामांतरण संख्या 1140 के कॉलम संख्या 7 में प्रतिवादी संख्या 1 कुशलाराम पुत्र धोंकलराम का हिस्सा 1/4 दर्ज रहा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा कॉलम संख्या 9 में कुशलाराम पुत्र धोंकलराम जाति मेघवंशी का हिस्सा गलत रूप से 1/4 के स्थान पर 1/2 दर्ज कर दिया जिसका राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 के पिता [illegible] उनके जीवन काल में 1.05 है0 भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त एवं उपयोग चला आ रहा है तथा [illegible] व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 का अपने पिता के जीवनकाल में संयुक्त रूप से कब्जा [illegible] उपभोग चलता रहा है।

चतरसाल की मृत्यु पश्चात विरासतन नामांतकरण संख्या 2[illegible] दिनांक 04.12.2019 में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 के पिता का हिस्सा 1.0500 है0 के स्थान पर 0.2825 अंकित कर दिया गया तथा कुल 113/1236 हिस्से के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 प्रत्येक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ

हक में 113/7416 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अंकित कर दिया गया।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित 1/2 हक हिस्से में से उसका हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 के हक हिस्से 0.7675 है0 कम किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 को 0.7675 है0 में से प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम खरीटों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 3.0900 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्से में से 0.7675 है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 प्रत्येक के 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में से अपने 1/2 हिस्से को किसी भी रूप से विक्रय व हस्तांतरित करने वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री अनुराग बराड़िया द्वारा वकालतनामा तथा राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 08 प्रफोर्मा पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा राजीनामा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी की ओर से सहादत नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल सत्यप्रतिलिपि सम्वत् 2075–78, विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1993, विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1994, नकल नामांतकरण संख्या 251, नकल नामांतकरण संख्या 140, आधार कार्ड–ओमप्रकाश, बाबुलाल व विरेन्द्र आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार निर्णय किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1993 व 28.04.1994 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 4 लगायत 06 के पिता चतरसाल द्वारा 0.77 है0 तथा 0.28 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र के द्वारां क्रय की गई थी परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रकबा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया था जिसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य् राजीनामा हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 दावा मे चाहे गये अनुतोष अनुसार निर्णय किया जाता है तो उसे कोई ऐतराज नहीं है तथा इस संबंध में वाद वादीगण स्वीकार करने की समहति दी गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य आपस में राजीनामा होने पर वाद वादीगण अनुसार निर्णय करने की सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है तथा ना ही शहादत की आवश्यकता है। अतः वाद वादीगण सहमति एवं राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के राजीनामा एंव सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खरीटों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 3.0900 है0 भूमि में खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 कुशलाराम पुत्र धोंकलराम के 1/2 हिस्से में से 0.7675 है0 कम किया जाकर उक्त 0.7675 है0 भूमि का खातेदार वादीगण 01 लगायत 03 तथा प्रतिवादीगण 04 लगायत 06 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आश्य की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल [illegible] .07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:55 [illegible] IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
[illegible] एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 119/2025 (ओमप्रकाश आदि बनाम कुशलाराम आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 14.07.2025 अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खरीटों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 3.0900 है0 भूमि में खातेदार प्रतियादी संख्या 01 कुशलाराम पुत्र धोंकलराम के 1/2 हिस्से में से 0.7675 है0 कम किया जाकर उक्त 0.7675 है0 भूमि का खातेदार वादीगण 01 लगायत 03 तथा प्रतिवादीगण 04 लगायत 06 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आश्य की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested